#### NOTICE

# GOVERNMENT OF NCT OF DELHI DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 1ST FLOOR ISBT BUILDING KASHMERE GATE DELHI – 110006

(CHILD PROTECTION AND DEVELOPMENT UNIT)

I. Applications are invited for the posts of a Chairperson & Six Members (out of which at least two shall be women) of Delhi Commission for Protection of Child Rights (DCPCR) constituted u/s 17 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 for the National Capital territory of Delhi.

Eligibility & Qualifications of the Chairperson	<ul> <li>a) Should be a person of eminence and has done outstanding work for promoting the welfare of children.</li> <li>b) Shall have at least 5 years' experience in Social Sector like Education, Health, Social Welfare.</li> <li>c) No person having any past record of violation of human rights or child rights shall be eligible for appointment as the Chairperson/Members.</li> </ul>
Eligibility & Qualifications of Members	<ul> <li>a) Should be persons of eminence ability, integrity, standing and experience in - (i) education, (ii) child health care, welfare or child development, (iii) juvenile justice or care of neglected or marginalized children or children with disabilities, (iv) elimination of child labour or dealing with children in distress, (v) child psychology or sociology and, (vi) laws relating to children</li> <li>b) Shall have at least 5 years' experience in Social Sector like Education, Health, Social Welfare.</li> <li>c) No person having any past record of violation of human rights or child rights shall be eligible for appointment as the Chairperson/Members.</li> </ul>

#### II. Terms of reference:

1. The Chairperson or a Member shall hold office as such for a term of three years from the date on which he/she assumes office:

Provided that no Chairperson or any other member shall hold office as such after he/she has attained – (a) in case of Chairperson, the age of sixty-five years; and

- (b) in case of Members, the age of sixty years.
- 2. The Chairperson/Members may by writing under his hand addressed to the Government resign at any time.
- 3. Salaries & Allowances In case of retired government servants, the pay will be fixed in accordance with the prevailing orders i.e. last pay drawn minus pension. In case of public figures, the amount will be Rs. 2,00,000/- p.m. consolidated without allowances for the Chairperson and Rs. 1,00,000/- p.m. without allowances consolidated for each Member.

#### III. Procedure for applying:

Interested persons may submit their application online through website <a href="http://cams.wcddel.in">http://cams.wcddel.in</a> Applications shall be accepted w.e.f. **26.12.2024** (from 12:00 AM) to **09.01.2025** (up to 11:59 PM).

# IV. Applicants may note that misrepresentation of facts shall amount to disqualification Note:

- a) No other mode of application except online shall be entertained by the Department.
- b) Functions of Chairperson and Members/ Removal from office and other relevant details may kindly be referred from the Commissions for Protection of Child Rights Act 2005 and the Delhi Commission for Protection of Child Rights Rules, 2008, and it's Amendment Rules, 2017 & 2019.

Sd/-Director, WCD

Child Protection And Child Development Child Protection And Control Development Child Protection And Child Development of Women And Child Protection of NCT of Delhi-06 Department of Women NCT of Gets, Delhi-06 Department Govt. of NCT of Gets, Delhi-06 Department Govt. of NCT of Gets, Delhi-06 Department Govt.

# सूचना

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग पहली मंजिल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006 (बाल संरक्षण और विकास अनुभाग)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत गठित दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) के अध्यक्ष और छह सदस्यों (जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होंगी) के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

अध्यक्ष की और योग्यता	पात्रता	क) प्रत्याशी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किये हों। ख) प्रत्याशी का शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण जैसे सामाजिक क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव
		होना चाहिए। ग) कोई भी व्यक्ति जिसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई पिछला रिकॉर्ड है, अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
सदस्यों की और योग्यता		<ul> <li>फ) प्रत्याशी एक प्रतिष्ठित व सत्यनिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए तथा उसे निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव होना चाहिए - (i) शिक्षा, (ii) बाल स्वास्थ्य देखभाल, कल्याण या बाल विकास, (iii) किशोर न्याय या उपेक्षित या हाशिए पर रहने वाले बच्चों या विकलांग बच्चों की देखभाल, (iv) बाल श्रम का उन्मूलन या संकटग्रस्त बच्चों के बीच कार्य, (v) बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र तथा, (vi) बच्चों से संबंधित कानून ।</li> <li>ख) प्रत्याशी का शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण जैसे सामाजिक क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</li> <li>ग) कोई भी व्यक्ति जिसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई पिछला रिकॉर्ड है, अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।</li> </ul>

## संदर्भ की शर्तै:

- क) अध्यक्ष / सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अविध के लिए पद पर रहेंगे । परंतु अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु के बाद तथा सदस्य 60 वर्ष की आयु के बाद, पद पर नहीं रह सकते ।
- ख) अध्यक्ष/सदस्य किसी भी समय सरकार को संबोधित करते हुए लिखित में अपना त्यागपत्र दे सकते हैं।
- ग) वेतन और भत्ते सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का वेतन प्रचलित आदेशों के अनुरूप नियत किया जाएगा अर्थात अंतिम लिए गए वेतन से पेंशन घटाकर। किसी अन्य व्यक्ति को, अध्यक्ष पद के लिए वेतन, भत्ते के बिना समेकित 2,00,000/- रुपये प्रति माह और सदस्य के लिए वेतन, भत्ते के बिना समेकित 1,00,000/- रुपये प्रति माह दिया जायेगा।

# III. आवेदन करने की प्रक्रिया:

इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट <a href="http://cams.wcddel.in">http://cams.wcddel.in</a> के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन **26.12.2024** (12:00 AM) से **09.01.2025** (11:59 PM तक) तक स्वीकार किए जाएंगे।

IV. आवेदक ध्यान दें कि तथ्यों की गलत बयानी अयोग्यता के बराबर होगी।

### नोट:

क) ऑनलाइन के अलावा आवेदन का कोई अन्य तरीका विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ख) अध्यक्ष और सदस्यों के कार्य / पद से हटाए जाने की प्रक्रिया और अन्य संदर्भित जानकारी के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2008 और इसके संशोधन नियम, 2017 और 2019 का अवलोकन करें।

> sa/-निदेशक, डब्ल्यूसीडी

Child Protection And Child Development

Child Protection And Child Development

Child Protection And Child Development

Govt. of NCT of Delhi

Govt. of NCT of Gate, Delhi-06

(SBT Building Kashmere Gate,